चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए०/ 4865
दिनांक : 06.01.2022

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय : एलएल०एम० पाठ्यक्रम में अर्हता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की मा० कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.12.2021 के द्वारा संकल्प संख्या–18(6) में निम्न आदेश पारित किये गये हैः–

" विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसर में संचालित एलएल०एम० पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को एल०एल०बी० पाठ्यक्रम में अधिकतम 50% अंक प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रवेश प्रदान किया जाता है। यहाँ यह भी सूच्य है कि ओ०बी०सी०/एस०सी०/एस०टी० के लिए 2% की छूट पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है। जिसके सम्बन्ध में मा० कार्यपरिषद द्वारा एलएल०एम० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को एलएल०बी० पाठ्यक्रम में 49.50% होने पर भी एलएल०एम० पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।'

अतः उक्त के क्रम में आप अपने–अपने महाविद्यालय/संस्थान/परिसर में एलएल०एम० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को एलएल०बी० पाठ्यक्रम में 49.50% होने पर भी प्रवेश किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

06-01-2022

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

01. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. प्रति–कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
03. प्रवेश समन्वयक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
04. समन्वयक, विधि विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ।
05. विश्वविद्यालय, प्रैसप्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
06. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।

कुलसचिव